न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 145 / 2023

अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र बेगराज जाति बाल्मिकी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. रामलाल पुत्र गोरधन जाति बाल्मिकी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. मनीराम पुत्र हरजी जाति बाल्मिकी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र हरजीराम जाति बाल्मिकी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तंहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय **दिनांकः** 25/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2074–2077 के खाता सं. 654 के प.न. 117/36 मु.न. 566 के किला नं. 25 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 117/37 मु.न. 597 के किला नं. 6, 15,16, 25 की 1.0120 हैक्टर भूमि प.न. 117/44 मु.. 565 के किला नं. 14 ता18 व 21 / 2 ता 25 की कुल 2.7570 हैक्टर भूमि प.न. 117/45 मु.न. 598 के किला नं. 1/2 ता 22 की 5.1860 हैक्टर भूमि प.न. 117/52 के मु. नं. 564 के किला नं. 11 ता 13 व 18ता 23 की 2.2770 हैक्टर भूमि प.न. 117/53 मु.न. 599 के किला नं. 1 की 0.2530 हैक्टर भूमि कुल 47 किला की 11.7380 हैक्टर भूमि, रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2074–2077 के खाता सं. 691 के प.न. 95/51 मु.न. 27 के किला नं. 16,17 व 23 ता 25 की 1.2650 हैक्टर भूमि प.न. 95/52 मु.न. 49 के किला नं. 3 ता 8 व 12 ता 14 व 17 ता 19 व 22 ता 24 की 3.7950 हैक्टर भूमि प.न. 95/53 मु.न. 57 के किला नं. 11/2 व 12, 19 व 20/2 व 21/2 व 22 की 1.4430 हैक्टर प.. 95/60 मु.न. 48 के किला नं. 1/1 व 2, 10/2 व की 0.7080 हैक्टर भूमि कुल 33 किता की 8.2230 हैक्टर भूमि तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2074–2077 के खाता सं. 711 के प.न. 77/63 के किला न. 16 व 25 की 0.430 हैक्टर भूमि प.न. 77/64 मु.न. 727 के किला नं. 5 की 0.1640 हैक्टर प.न. 97/7 के मु.न. 657 के किला नं. 11 ता 14 व 17 ता 25 की 3. 1620 हैक्टर प.न. 97/8 के किला नं. 1/2.3 [illegible] 8 [illegible] 3.2640 हैक्टर प.न. 97/15 मु.न. 658 के किला नं. 21/1 की 0.2280 हैक्टर प.न. [illegible] के किला नं. 1 व 2 व 9 ता 12 व 19 व 20 की 2.0240 हैक्टर भूमि कुल 38 किला की 9.2720 हैक्टर [illegible] सायलान की दादालाई पूर्वजो की खातेदारी है जिसमें सायलान व गैरसायलान का जन्म से हक व हिस्सा है अर्थात बाई बर्थ राईट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:50:32 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2074–2077 के खाता सं. 654 की कुल तादादी 11.7380 हैक्टर भूमि जो दादालाई खातेदारी है में गैरसायल सं. 1 ने अपने अकेले का नाम फर्जी तौर पर विरास्तन नामान्तरण 1/4 हिस्सा 2935/11738 हिस्सा दर्ज करवा लिया जो विधि विरूद्ध है तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2074–2077 के खाता सं. 691 की कुल तादादी 8.2230 हैक्टर भूमि विरास्तन नामान्तरण फर्जी तौर पर राजस्व रिकार्ड अधिकारियों से मिलकर गैरसायल सं. 1 ने 1/4 हिस्सा दर्ज करवा लिया जो विधि विरूद्ध है, तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2074–2077 के खाता सं. 711 की कुल 9.2770 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 ने फर्जी तौर पर हिस्सा कस्सी गलत दर्ज करवा दी इससे सायलान व अन्य गैरसायलान के हक व हकुक पर बैजा असर पड़ता है तथा अपूर्णीय क्षति होती है सायलान न्यायालय से दुरूस्त की घोषणा व बाई बर्थ राईट की घोषणा करापाने के अधिकारी है एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 654 की कुल 11.7380 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 का 2935/11738 हैक्टर भूमि अर्थात 2.935 हैक्टर भूमि में सायल सं. 1 व दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 18 ईमा का 1/10 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 19 ता 23 का 5/10 हिस्सा ब.हि.ब. सायल सं. 3 का 1/10 हिस्सा, सायल सं. 2 का 1/80 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 4 का 1/80 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 10 ता 13 का 4/80 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 5 ता 19 का 1/80 हिस्सा ब.हि.ब. दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 14 ता 17 का 1/80 हिस्सा ब.हि. ब. दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 का 1/10 हिस्सा दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 2 व 3 का 1/10 हिस्सा दर्ज किया जावे। एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 691 की कुल तादादी 8.2230 हैक्टर भूमि गैरसायल सं. 1 का 1/4 हिस्सा को कमलमजन कर सायल सं. 1 व गैरसायल सं. 18 का 1/40 हिस्सा सायल सं. 3 का 1/40 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 2 का 1/320 हिस्सा दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 4 का 1/320 हिस्सा गैरसायलान सं. 10 ता 13 का 4/320 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 5 ता 9 का 1/320 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 14 ता 17 का 1/320 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 19 ता 23 का 5/40 हिस्सा, ब.हि.ब. दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 का 1/40 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 2 व 3 का 1/40 हिस्सा ब.हि.ब. दर्ज किया जावें तथा एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 711 की कुल तादादी 9.272 हैक्टर भूमि में दुरूस्त करके सायल सं. 1 व दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 18 का 1/10 हिस्सा, सायल सं. 2 व दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 व 10 ता 13 का 6/80 हिस्सा ब.हि.ब. दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 5 ता 9 का 1/80 हिस्सा ब.हि. ब. दावा में दर्ज प्रतिवादीगण सं. 14 ता 17 का 1/80 हिस्सा सायल सं. 3 का 1/10 हिस्सा दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 19 ता 23 का 5/10 हिस्सा, गैरसायल सं. 1 का 1/10 हिस्सा तथा दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 2 व 3 का 1/10 हिस्सा ब.हि.ब दर्ज किया जावें।

गैरसायल सं. 1 बहुत तेज तर्रार व्यक्ति है तथा सारा परिवार अपनढ़ व काश्तकार पेशा होने के कारण पूरे परिवार घर व राजस्व सम्बधित तहसील पचांयत अदालत सम्बधी सारे कार्य गैरसायल सं. 1 ही करता है। जिसने सभी सा[illegible] सायलान की मजबुरी व अनपढ़ता का फायदा उठाकर सारी भूमि पर ए[illegible]बनाकर कर ली जिसके विरूद्ध थाना पुलिस नोहर में भी शिकायत दर्ज करवा दी है [illegible]सा करके गैरसायल सं. 1 ने विधि विरूद्ध कार्य किया है तथा फर्जकारी की है अतः सायलान न्यायालय से सयुक्त हिन्दु खानदान की जददी खातेदारी भूमि में अपना बाई बर्थ राईट की घोषणा करापाने के अधिकारी है। सायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:50:32 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त भूमि को सयुक्त हिन्दु खानदान व जददी दादालाई खातेदारी भूमि जो चिमनाराम के फौत होने पर उसके चार वारिसान हरजी, रूपराम चन्दुराम व हरीराम को प्राप्त हुई है और हरजी के सायलान वारिसान है हरजीराम के दस औलाद हुई जो उसकी वारिसान थी इसलिए प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुऐ तथा हरजी की औलाद जो मृतक हुई उनके वारिसान का 1/10 हिस्सा के खातेदार हुऐ। गैरसायल सं. 1 बहुत तेज तर्रार व्यक्ति है तथा फर्जी तौर पर सायलान व अन्य गैरसायलान का हक व हिस्सा अपने नाम दर्ज करा लेने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रोत्साहित होकर भूमि को रहन / बैय अथवा मुन्तकिल करने की फिराक में है यदि ऐसा हो गया तो मुकदमें बाजी बढ़ेगी व सायलान व अन्य गैरसायलान को ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा अतरू जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायल सं. 1 को पाबन्द करापाने के अधिकारी है। लिहाजा यह प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 654 की कुल तादादी 11. 7380 हैक्टर भूमि एवं खाता सं. 691 की 8.2230 हैक्टर एवं खाता सं. 711 की 9. 2720 हैक्टर भूमि यथास्थिति बनायी रखे व किसी भी प्रकार से रहन / बैय अथवा मुन्तकिल न करे। तथा वादी व अन्य प्रतिवादीगण के हक व हिस्सा मे स्वंय अथवा अपने आदमियों से मदाखलत बैजा न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 654/545 की 11.7380 हैक्ट भूमि व खाता स0 691/588 की 8.2230 हैक्ट भूमि व खाता स0 711/608 की कुल 9.2720 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि की यथास्थित बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि कभी भी चिमनाराम के नाम दर्ज नही रही है उक्त भूमि हरजी की स्वयं नोतोड़ कब्जा काश्त की भूमि थी। हरजी द्वारा अपनी स्वयं की भूमि की दिनांक 18.05.1987 को उत्तरदाता के पक्ष में दिनांक 18.05.1987 को एक रजिस्टर्ड वसीयत उप पंजीयक नोहर से रजिस्टर्ड करवाई थी एवं हरजी ने अपने जीवनकाल में गोरधन, बेगराज व मनीराम को अलग से भूमि खरीद कर उनके नाम दर्ज करवा दी थी। उत्तरदाता के नाम उक्त भूमि सही तौर से दर्ज हुई है जिसमें सायलान का कोई हक हिस्सा नही है सायलान द्वारा उत्तरदाता को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता वकील सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मा[illegible] सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? [illegible] हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:50:32 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक भूमि है जो की चिमनाराम के फौत होने के बाद उसके चार वारिसान हरजी, रूपराम, चन्दुराम व हरीराम के नाम दर्ज हुई। हरजीराम के सायलान वारिस है एवं हरजीराम के 10 वारिस हुए लेकिन गैरसायल स0 1 अकेले ने उक्त भूमि गलत तरीकेक से स्वयं के अकेले के नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि में हरजीराम के सभी वारिसान का हक हिस्सा था। सायलकान का कथन है कि उक्त भूमि चिमनाराम के नाम दर्ज थी लेकिन सायलान द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की उक्त भूमि पूर्व में चिमनाराम यानि की हरजी के पिता के नाम दर्ज थी।

अप्रार्थी का कथन है कि दिनांक 18.05.197 को हरजी द्वारा अपनी स्वयं अर्जित भूमि की अप्रार्थी स0 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीतय उप पंजीयक नोहर से रजिस्टर्ड करवाई थी एवं मुताबिक वसीयत अप्रार्थी स0 1 के नाम भूमि दर्ज हुई है पत्रावली मे प्रस्तुत वसीयतनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि गैरसायल स0 1 को अपने पिता से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी, ढालबाझ व जमाबंदीयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पूर्व में हरजी स्वयं की नाम रही है अर्थात उक्त भूमि हरजी की स्वयं की भूमि थी इसलिए प्रथम दृष्टया गैरसायल स0 1 के पिता की स्वयं अर्जित भूमि की वसीयत अप्रार्थी स0 1 के पक्ष में निष्पादीत होना प्रतीत होता है इसलिए प्रथम दृष्टया मामल अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है क्योकि प्रार्थीगण द्वारा हरजी के नाम भूमि दर्ज कैसे दर्ज हुई बाबत कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है एवं न ही वसीयत के खंडन में कोई दस्तावेज पेश किया है। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 19.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:30:32 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर